अशोक कुमार सिन्हा
Ashok Kumar Sinha

मुख्य सचिव, बिहार सरकार
मुख्य सचिवालय, पटना-800015
CHIEF SECRETARY
GOVT. OF BIHAR
Main Secretariat, Patna-800015
Tel : 0612-2215804
Fax : 0612-2217085

पत्रांक:- 1059/मु० स०
दिनांक 11 सितम्बर, 2012

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/ सचिव,
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,
सभी जिला पदाधिकारी ।

विषय:- मुख्य सचिव के स्तर पर होने वाले महत्वपूर्ण सरकारी बैठकों के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुये सूचित करना है कि सितम्बर, 2012 से मुख्य सचिव के स्तर पर संलग्न तालिका के अनुसार महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की जायेंगी । तालिका के द्वितीय स्तंभ में बैठक की तिथि अथवा दिन तथा समय का उल्लेख किया गया है । तृतीय स्तंभ में संक्षेप में विषय की जानकारी प्रसंग के साथ दी गयी है । चतुर्थ स्तंभ में उनके नाम हैं जिन्हें इस बैठक में बुलाया जायेगा । अंतिम स्तंभ में उस विभाग का नाम दिया गया है जिसे इस बैठक हेतु सूचना निर्गत करनी है एवं इसकी कार्यवाही तैयार करनी है । यदि अंकित तिथि अथवा दिन को किसी माह में अवकाश का दिन हो तो यह आयोजन एक दिन पूर्व अथवा एक दिन बाद हो सकता है । परन्तु, सभी बैठकों के लिये विधिवत् मुख्य सचिव की अनुमति प्राप्त कर इन विभागों के द्वारा ससमय सूचना निर्गत की जायेगी । इस सूचना के साथ संक्षेप में विषय-वस्तु तथा कार्यावली बिन्दु भी परिचारित किये जायेंगे ।

2. माननीय मुख्य मंत्री महोदय के आदेश से प्रत्येक एक दिन बाद सुखाड़ संबंधी समीक्षा बैठक का आयोजन किया जा रहा है । पहले यह बैठक विकास आयुक्त के स्तर पर होती थी । अब यह मुख्य सचिव के स्तर पर आयोजित होगी । सोमवार की समीक्षा बैठक को सोमवार को ही होने वाले आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के साथ मिला दिया गया है । इस प्रकार सोमवार की बैठक आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के रूप में शाम 5.00 बजे आयोजित होगी तथा बुधवार एवं शुक्रवार की बैठकें पूर्व की भाँति प्रातः 10.00 बजे आयोजित होंगी ।

3. विगत कुछ माह से प्रत्येक सोमवार को अप० 3.00 बजे जिलाधिकारी के साथ विडियो कॉन्फेरेन्स का आयोजन किया जा रहा है । इसका प्रारंभ धान एवं गेहूँ की अधिप्राप्ति के लिये किया गया था । बाद में इसमें सुखाड़ की स्थिति की समीक्षा प्रारंभ की गयी तथा अब इसमें सामाजिक, आर्थिक एवं जाति गणना को भी शामिल कर लिया

उप सचिव 12/9/12

4868 (P)
12/9/12

गया है । यह साप्ताहिक विडियो कॉन्फेरेन्स पूर्व की भाँति आयोजित होता रहेगा । इसमें ऐसे विषयों का समावेश किया जायेगा जो अत्यंत महत्वपूर्ण हों तथा जिनकी साप्ताहिक समीक्षा आवश्यक हो । कोई भी विभाग इस विडियो कॉन्फेरेन्स में अपना कोई विषय शामिल करने का प्रस्ताव मुख्य सचिव को प्रस्ताव दे सकता है ।

4. प्रथम एवं तृतीय शुक्रवार को अप0 4.00 बजे कोर्ट केस की समीक्षा हेतु हो रही बैठकें पूर्व की भाँति होती रहेंगी । समय समय पर इसमें अन्य विषय भी शामिल किये जा सकते हैं । इस बैठक हेतु सूचना मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग से निर्गत होगी । पूर्व के अनुसार दोनों शुक्रवार को विभागों के अलग-अलग समूह की समीक्षा की जायेगी ।

5. ऊर्जा प्रक्षेत्र के महत्व को देखते हुये प्रत्येक माह की 5वीं तारीख को जिला पदाधिकारियों के साथ इस विषय पर मासिक विडियो कॉन्फेरेन्स का आयोजन किया जायेगा । इसमें जले हुये ट्रांसफार्मर को बदलना, भू-अर्जन, विद्युत् की सुनिश्चित आपूर्त्ति, आदि की समीक्षा की जायेगी । इस बैठक में जिलों में जिलाधिकारी के साथ बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड के कार्यपालक अभियंता तथा अधीक्षण अभियंता बैठेंगे जबकि पटना में मुख्यालय में मुख्य सचिव के साथ विकास आयुक्त, प्रधान सचिव, ऊर्जा, प्रधान सचिव/सचिव, राजस्व, अध्यक्ष, बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड तथा उनके सभी क्षेत्रीय महाप्रबंधक उपस्थित रहेंगे ।

6. प्रत्येक माह की 10वीं तारीख को राज्य योजना के अंतर्गत प्रगति की समीक्षा की जायेगी । इसमें कृषि रोड मैप के विभागों को छोड़कर शेष विभाग शामिल होंगे । कृषि रोड मैप संबंधी विभागों के लिये यह समीक्षा प्रत्येक माह की 15वीं तारीख को आयोजित होगी ।

7. प्रत्येक माह की 20वीं तारीख को विद्युत् संबंधी योजनाओं की स्थिति, भू-अर्जन, आई.पी.पी. योजनाओं की प्रगति, आदि की समीक्षा होगी जिसमें ऊर्जा विभाग, बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड, राजस्व विभाग, आदि शामिल होंगे । परन्तु इस बैठक में जिलाधिकारी नहीं रहेंगे । इस प्रकार ऊर्जा प्रक्षेत्र की समीक्षा माह में दो बार यानी 5वीं तारीख को तथा 20वीं तारीख को की जायेगी । 5वीं तारीख को यह समीक्षा विडियो कॉन्फेरेन्स के माध्यम से जिलाधिकारियों के साथ होगी जबकि 20वीं तारीख को यह समीक्षा सचिवालय एवं मुख्यालय पदाधिकारियों के साथ होगी ।

8. विगत कुछ माह से सभी विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं में प्रगति लाने के लिये जिलाधिकारियों के साथ विडियो कॉन्फेरेन्स का आयोजन किया जा रहा है । इससे विभिन्न विभागों को अपने कार्यक्रमों में तेजी लाने में तथा जिलाधिकारियों को अपनी समस्याओं के समाधान में मदद मिल रही है । यह विडियो कॉन्फेरेन्स पूर्ववत् जारी रहेगा तथा प्रत्येक बार योजना एवं विकास विभाग द्वारा सम्बद्ध विभागों को कार्यसूची के साथ इसकी सूचना दी जायेगी । यह विडियो कॉन्फेरेन्स प्रत्येक माह की 25वीं तारीख को आयोजित होगा ।

9. सेवा यात्रा के क्रम में विभिन्न जिलों में माननीय मुख्य मंत्री द्वारा लिये गये निर्णयों एवं आदेशों की समीक्षा के लिये प्रत्येक माह की 30 तारीख को एक बैठक का आयोजन किया जायेगा जिसमें सभी सम्बद्ध विभाग भाग लेंगे । इसके बारे में एक बैठक का आयोजन कर सभी विभागों को आवश्यक सूचना उपलब्ध करायी जा चुकी है ।

10. जैसा कि ऊपर स्पष्ट किया गया है इन बैठकों के लिये प्रत्येक बैठक के पूर्व विषय-सूची के साथ सूचना दी जायेगी । जब कभी यह तिथि अथवा दिवस अवकाश के दिन पड़े तो इसके लिये मुख्य सचिव के अनुमोदन से तिथि में परिवर्त्तन कर सूचना दी जायेगी ।

11. मुख्य सचिव के स्तर पर यदि नियमित रूप से अन्य बैठकों का आयोजन आवश्यक हो तो सम्बंधित विभाग इसके लिये मुख्य सचिव से तिथि प्राप्त कर बैठकों का आयोजन करेंगे ।

12. यदि किसी विभाग को अपने किसी विषय पर अन्य विभागों के साथ अथवा जिलाधिकारियों के साथ किसी बैठक अथवा विडियो कॉन्फेरेन्स की आवश्यकता महसूस हो तो वे मुख्य सचिव से तिथि एवं समय प्राप्त कर बैठकों अथवा विडियो कॉन्फेरेन्स का आयोजन करेंगे ।

13. सामान्यतया बिना मुख्य सचिव की अनुमति के जिला पदाधिकारी के साथ संलग्न तालिका से अलग किसी विडियो कॉन्फेरेन्स अथवा बैठक का आयोजन नहीं किया जायेगा एवं तालिका में दिये गये विडियो कॉन्फेरेन्स अथवा बैठकों में ही इसे शामिल करने का प्रस्ताव दिया जायेगा । वृहस्पतिवार को जिलाधिकारियों को 'जनता के दरबार' कार्यक्रम आयोजित करने का निदेश दिया गया है जिसमें उनको स्वयं उपस्थित रहना है । अतः, वृहस्पतिवार को जिलाधिकारियों के साथ किसी विडियो कॉन्फेरेन्स का आयोजन नहीं होगा और न ही उनको मुख्यालय में किसी बैठक में बुलाया जायेगा । तालिका में शामिल जिलाधिकारियों के साथ आयोजन होने वाली कोई बैठक यदि वृहस्पतिवार को पड़े तो इसकी तिथि में परिवर्त्तन किया जायेगा ।

14. तालिका में दिये गये सभी बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण हैं तथा इन पर सरकार के कार्यक्रमों की सफलता निर्भर है । अतः, इन सभी बैठकों में सभी विभागीय सचिव/ प्रधान सचिव तथा जिला पदाधिकारी स्वयं भाग लेंगे तथा ससमय उपस्थित होंगे । अपरिहार्य परिस्थितियों में ही किसी ऐसे पदाधिकारी को यह दायित्व दिया जा सकेगा जो विषय-वस्तु से पूर्णतया परिचित हों ।

विश्वासभाजन,

(अशोक कुमार सिन्हा)

मुख्य सचिव, बिहार ।

सितम्बर, 2012 से मुख्य सचिव स्तर पर आयोजित होने वाली बैठकों की तालिका ।

क्रमांक	तिथि / दिन तथा समय	विषय सूची / प्रसंग	विभागों के नाम	नोडल विभाग
1.	2.	3.	4.	5.
1.	प्रत्येक सोमवार (अप0 5.00 बजे) आपदा प्रबंधन समूह की बैठक) बुधवार तथा शुक्रवार (पूर्वा0 10.00 बजे) (टास्क फोर्स की बैठक)	सुखाड़ की स्थिति की समीक्षा (विकास आयुक्त का पत्रांक 2785 दिनांक 13.07.2012)	सम्बद्ध विभाग	सोमवार (आपदा प्रबंधन विभाग) (आपदा प्रबंधन समूह की बैठक) बुधवार, शुक्रवार (योजना विभाग) (टास्क फोर्स की बैठक)
2.	प्रत्येक सोमवार (3.00 बजे अप0)	साप्ताहिक विडियो कॉन्फ्रेंस	सभी जिलाधिकारी तथा सम्बद्ध विभाग	अप0 3.00 बजे- कृषि विभाग (सुखाड़ की स्थिति की समीक्षा) अप0 3.30 बजे-ग्रामीण विकास विभाग(सामाजिक, आर्थिक तथा जाति गणना) अप0 4.00 बजे -खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग (अधिप्राप्ति)
3.	प्रथम एवं तृतीय शुक्रवार (अप0 4.00 बजे)	कोर्ट केस की समीक्षा, पेंशन की समीक्षा, जन शिकायत निष्पादन की समीक्षा	दोनों शुक्रवार को अलग-अलग विभाग के समूह	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग (कोर्ट केस) जन शिकायत विभाग (जन शिकायत निष्पादन) वित्त विभाग (पेंशन)

1.	2.	3.	4.	5.
4.	प्रत्येक माह की 5वीं तारीख (पूर्वा0 11.00 बजे)	विद्युत् आपूत्ति की स्थिति, विद्युत योजनाओं के लिए भू-अर्जन, ट्रांस्फार्मर बदलना आदि पर मासिक विडीयो कान्फ्रेंस	उर्जा विभाग, राजस्व विभाग, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड तथा सभी जिलाधिकारी	ऊर्जा विभाग
5.	प्रत्येक माह की 10वीं तारीख (पूर्वा0 11.00 बजे से -अलग-अलग विभाग समूहों के लिये अलग-अलग समय)	योजना में प्रगति के समीक्षा (कृषि रोड मैप छोड़ कर अन्य विभागों के लिये)	सभी सम्बद्ध विभाग (कृषि रोड मैप के विभागों को छोड़कर)	योजना विभाग
6.	प्रत्येक माह की 15वीं तारीख (पूर्वा 11.00 बजे)	कृषि रोड मैप के अंतर्गत प्रगति की समीक्षा (विकास आयुक्त का पत्रांक 3045 दिनांक 27.07.2012)	सभी सम्बद्ध विभाग	योजना विभाग
7.	प्रत्येक माह की 20 वीं तारीख (पूर्वा0 11 बजे)	विद्युत संबंधी योजनाओं की स्थिति, भू-अर्जन, आई.पी.पी. योजनायें, आदि	उर्जा विभाग, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, राजस्व विभाग, आदि	उर्जा विभाग
8.	प्रत्येक माह की 25वीं तारीख (पूर्वा0 11.00 बजे)	मासिक विडियो कॉन्फ्रेंस (विकास आयुक्त का पत्रांक 1733 दिनांक 08.05.2012)	सभी जिलाधिकारी, कार्यावली सूची के अनुसार सभी विभाग	योजना विभाग
9.	प्रत्येक माह की 30वीं तारीख (पूर्वा0 11.00 बजे)	सेवा यात्रा के निर्णयों के अनुपालन हेतु समीक्षा (विभागों के साथ) विकास आयुक्त का पत्रांक 3444 दिनांक 27.08.2012)	सभी सम्बद्ध विभाग	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग